# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : श्रीमती बबलु कुंवर** **विपक्षी : श्री चतरसिंह**

**किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 15/21**

**जीसीएमएस : 2021/46**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां व अधिवक्ता विपक्षी सं. 3 उपस्थित। विपक्षी सं. 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका है। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीयां द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीयां की पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीयां के पिता चतरसिंह विपक्षी सं. 1 के नाम 5/12 व अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 को अपने पिता मोखमसिंह पिता गुलाबसिंह के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 23.05.2005 विरासत से प्राप्त हुई हैं। वादपत्र के अवलोकन से प्रार्थीयां विपक्षी सं. 1 की पुत्री होना जाहिर होता हैं, इससे प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति हैं। अतः प्रार्थीयां की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीयां का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीया अपने हिस्से से वंचित हो जायेगी, जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए विपक्षी सं. 1 को हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीयां की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चुण्डावतखेडी पटवार हल्का बडगांव की आराजी नम्बर 226, 227, 228, 229, 230, 239, 304, 313, 451, 83, 95, 96 कुल किता 12 रकबा 2.4281 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 चतरसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत के नाम दर्ज 5/12 हिस्सा भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की ताफैसला मूल वाद तक यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.14 13:07:06 IST
Reason: SelfAttested